क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश

कार्यक्रम का नामः जननी सुरक्षा योजना

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): संस्थागत प्रसव– शहरी

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक–2 के आधार पर): A.1.4.2.b

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण :

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में वांछित कमी लाने हेतु संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि का प्रावधान इस कार्यक्रम में किया गया है । इस एफ.एम.आर. कोड से केवल शहरी क्षेत्र के गर्भवती महिलाओं को राशि दिया जाएगा ।

इकाई राशि (रू० में) :1000/– संस्थागत प्रसव

वित्तीय दिशा निर्देश :

संस्थागत प्रसव हेतु प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए दिशा निर्देश– संस्थागत प्रसवोपरांत प्रसूती माताओं को जननी एवं बाल सुरक्षा योजनान्तगर्त प्रोत्साहन राशि के रूप में एक मुश्त कुल ₹1000/–(शहरी क्षेत्रों में) देय है ।

नोट : –

1 प्रसूती माताओं को संस्थागत प्रसव के पश्चात एक मुश्त भुगतान देय होगा । **प्रायः यह देखा जाता है कि प्रोत्साहन राशि का ससमय भुगतान नहीं होने के कारण संस्थागत प्रसवों में भी कमी होती है । इसलिए सभी स्वास्थ्य संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रसूति महिलाओं को अस्पताल छोड़ने से पहले (Bed payment) प्रोत्साहन राशि का भुगतान कर दिया गया है।**

2. प्रसूती माताओं **को एक मुश्त भुगतान उसी स्वास्थ्य संस्थान के माध्यम से किया जाएगा जहां पर उनका प्रसव होगा । सभी स्वास्थ्य संस्थान को निदेशित किया जाता है कि** प्रसूती माताओं **को एक मुश्त 1000/– का भुगतान प्रसव वाले संस्थान द्वारा किया जाएगा।**

3. **प्रायः यह देखा जाता है कि स्वास्थ्य संस्थान भुगतान हेतु** प्रसूती माताओं **तथा नवजात शिशुओं के फोटोग्राफ की मांग करते हैं । कड़ी सर्दी एवं लू के मौसम में नवजात शिशु के साथ प्रसूता महिलाएं फोटो के दुकान पर जाती हैं जो कि नवजात शिशु एवं महिला के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है । फोटो की आवश्यकता संस्थानों को है न कि महिलाओं को इससे संबंधित कोई आवश्यक अहर्ता पूरी करनी है । अतः यह स्पष्ट निदेशित किया जाता है कि सभी स्वास्थ्य संस्थानों में JBSY Administrative Expenses से एक Digital Camera (10000/–) का क्रय कर संबंधित फोटोग्राफ अपने कम्प्युटर में निम्नलिखित प्रारूप में संरक्षित करेगें तथा इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस को एक हार्डडिस्क में संरक्षित कर रखेंगे। इस हेतु** Labour Room Incharge **के द्वारा प्रसवोपरांत प्रसूती माता एवं नवजात शिशु का फोटोग्राफ लिया जाएगा और इसकी जवाबदेही संबंधित प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधक की होगी । इसको मुद्रित कर संचिका में ऑडिट के लिए संरक्षित करें ।**

JSY Beneficiary Data Format						
Sr No.	Name of Mother	Pregnant Wowen Reg. No./ MCTS ID. No.	PhotoGraph of Mother And child	Amount received by Mother	Cheque No.	Signature/ Thumb Impression

10/7/13

13/7/13

विशेष परिस्थिति में वित्तीय दिशा निर्देश –

1. यदि गर्भवती महिला का प्रसव अस्पताल जाने के क्रम में हो जाता है तो सामान्य महिला लाभार्थी की तरह ही उक्त देय राशि दी जायेगी ।

2. प्रसूती माता (प्रसव के बाद) अथवा शिशु की मृत्यु हो जाती है तो इस परिस्थिति में भी गर्भवती माता या परिवार के सदस्यों को देय राशि का भुगतान होगा ।
   (क) गर्भवती माता की प्रसव के पश्चात अगर मृत्यु हो जाए तो भुगतान शिशु के पोषण हेतु देय है। आशा को भुगतान देय होगा ।
   (ख) अगर मृत शिशु जन्म अथवा नवजात शिशु की मृत्यु हो तो भुगतान प्रसूती माता को पोषण हेतु देय है । आशा को भुगतान देय होगा ।
   (ग) अगर माता और शिशु दोंनों की मुत्यु हो जाए तो भुगतान केवल आशा को देय होगा ।

भुगतान की प्रक्रिया : प्रसूती माताओं को चेक के द्वारा भुगतान देय होगा ।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क)SHSB/PM/22/2005-VI/8422, Date:-28/09/2012 **(संलग्न)**

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का नाम : गौरव कुमार, उपनिदेशक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का फोन नंबर : 9431005972,

10/7/13

13/7/13

State Health Society, Bihar
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार
परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना-800014
Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna- 800014,
Tel : 0612-2290328, Fax: 2290322, website: www.statehealthsocietybihar.org

संजय कुमार, भा०प्र०से०
सचिव, स्वास्थ्य–सह–
कार्यपालक निदेशक

पत्रांक :– SHSB/PM/22/2005-VI - 8422

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार

सभी सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार ।

सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार ।

पटना, दिनांक :– 28/09/2012

विषय : जननी बाल सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभार्थियों तथा आशा कार्यकर्त्ता को एक मुश्त प्रोत्साहन राशि भुगतान करने के संबंध में ।

प्रसंग : राज्य स्वास्थ्य समिति का पत्र संख्या 11734, दिनांक 25.08.2009 ।

महाशय / महाशया,

उपर्युक्त विषयक राज्य स्वास्थ्य समिति के प्रासंगिक पत्र का संदर्भ करें, जिसके माध्यम से जननी एवं बाल सुरक्षा योजनान्तर्गत प्रोत्साहन राशि दिये जाने हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किया गया था । निर्गत दिशा–निर्देश के आलोक में प्रोत्साहन राशि का भुगतान निम्न रूप से किया जाता है –

कार्य	लाभार्थी (गर्भवती महिला ग्रामीण क्षेत्र)	लाभार्थी (गर्भवती महिला शहरी क्षेत्र)	लाभार्थी (आशा / आंगनवाड़ी सेविका) ग्रामीण क्षेत्र	लाभार्थी (स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता) शहरी क्षेत्र
गर्भवती महिला का रजिस्ट्रेशन			50 रू० / –	50 रू० / –
प्रसव पूर्व जाँच 1 प्रसव पूर्व जाँच 2 प्रसव पूर्व जाँच 3	300 रू० / –	300 रू० / –	100 रू० / –	50 रू० / –
आई० एफ० ए० 1 आई० एफ० ए० 2 आई० एफ० ए० 3	300 रू० / –	300 रू० / –	100 रू० / –	50 रू० / –
टी० टी० 1 टी० टी० 2	100 रू० / –	100 रू० / –		
कुल	700 रू० / –	700 रू० / –		
संस्थागत प्रसव	700 रू० / –	300 रू० / –		
बी०सी०जी० टीकाकरण			100 रू० / –	50 रू० / –
कुल	1400 रू० / –	1000 रू० / –	350 रू० / –	200 रू० / –

State Health Society, Bihar
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना-800014
Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna- 800014,
Tel : 0612-2290328, Fax: 2290322, website: www.statehealthsocietybihar.org

भारत सरकार के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश में जननी सुरक्षा योजना के प्रोत्साहन राशि को ब्रेकअप कर वितरित किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है । यह व्यवस्था राज्य में ANC को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य स्तर से की गई थी । इसके अतिरिक्त राज्य स्वास्थ्य समिति के पत्र संख्या 11734, दिनांक 25.08.2009 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के आधार पर प्रोत्साहन राशि का भुगतान किये जाने में व्यवहारिक कठिनाई हो रही है । भारत सरकार के द्वारा भी स्पष्ट दिशा–निर्देश दिया गया है कि किसी भी हालात में गर्भवती माता को एक मुश्त ही पूर्ण प्रोत्साहन राशि का भुगतान दिया जाय ।

अतः निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या D. O. No. Z-14015/1/2010/NMBS/JSY (I), दिनांक 07.09.2012 (प्रति संलग्न) के आलोक में राज्य स्वास्थ्य समिति के पत्र संख्या 11734, दिनांक 25.08.2009 को विलोपित किया जाता है तथा निदेश दिया जाता है कि भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शिका के आलोक में ग्रामीण क्षेत्रों में एक मुश्त कुल 1400/– रूपये तथा शहरी क्षेत्र में एक मुश्त 1000/– रूपये प्रसूति माताओं को तथा आशा/आंगनवाड़ी/स्वास्थ्य कार्यकर्ता को एक मुश्त 350/– रूपये ग्रामीण क्षेत्र में तथा 200/– रूपये शहरी क्षेत्र में प्रोत्साहन राशि का भुगतान प्रसव के उपरांत करना सुनिश्चित करें ।

यह दिशा निर्देश पत्र निर्गत होने की तिथि से प्रभावी माना जायेगा ।

अनु0– यथोक्त ।

13/7/13

विश्वासभाजन,

2819/2013

(संजय कुमार)

Dr. Suresh K. Mohammed
Director
Telefax : 23061333
e-mail : suresh.mohammed@nic.in

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
निर्माण भवन, नई दिल्ली - 110108
Government of India
Ministry of Health & Family Welfare
Nirman Bhavan, New Delhi - 110108

DO.No. Z-14015/1/2010/NMBS/JSY (I)
Date : 07.09.2012

Dear Shri,

Please find enclosed a report of field visit undertaken by Ms. Safia S. Haque, Consultant – JSY from this Ministry from July 2nd to 7th, 2012 in the districts of Bhagalpur and Nawada in Bihar. The report highlights following areas of concern as regards to implementation of Janani Suraksha Yojana (JSY) in the State :-

1. There is a delay of 2-3 months in payment of JSY benefits to pregnant women in Bhagalpur District. However, in Nawada due to the personal interest of the DM, spot payments are being done. In Bhagalpur, payment of ASHA incentives under JSY is pending since September 2011(almost 1 year).
2. Though the JSY payment register is maintained, the date of payment is not indicated in the register. The cheque number and date of cheque is mentioned. However, date of payment which is an important indicator is not mentioned.
3. Grievance redressal mechanism for JSY is either not existing or is ineffective in the State. Monitoring of JSY is also found to be weak. JSY administrative funds are being used for other programmes such as POL for Family Planning programme etc and not for proper monitoring of the scheme.
4. There is limited scope for pregnant women to avail 102 ambulances as these services are utilized for a variety of a patients such as BPL patients, accident victims, old age patients etc. Pregnant women have reported walking 2 hours in order to reach a hospital for delivery. There is a need to ensure that pregnant women get pick and drop back for delivery as per entitlement under JSSK.
5. State is proposing to deduct Rs. 700 from the JSY incentive for not having full ANC done before delivery (Rs. 100 for missing registration, Rs.300 for missing 3 ANC, and Rs. 300 for missing 100 IFA tablets). This is a retrograde step as the pregnant women should not be penalized for sub optimal service delivery. State is advised not to make such change in the JSY scheme and implement the scheme as per the GOI guidelines.

I would request you to look into the findings and intimate the corrective action.

With regards,

Yours faithfully

(Dr. Suresh K. Mohammed)

Enclosed : As stated.

Shri. Sanjay Kumar,
Mission Director (NRHM),
State Health Society, Bihar,
Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna-800014, Bihar

Copy to the Principal Secretary ,Health & Family Welfare Department, Government of Bihar, Patna.